न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 231/17
निर्णय दिनांक : 10.02.2018

1. शकूरखां पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान नि0 भरतोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभर जिला जयपुर राज0
2. रज्जाक खां पुत्र अकबर खां
3. रमजू खां पुत्र अकबर खां
4. अब्दुल करीम खां पुत्र गफूर खां
5. कमरूद्दीन पुत्र गफूर खां
6. जाफरूद्दीन खां पुत्र गफूर खां
   सगस्त जाति मुसलमान नि0 भरतोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा बाबत्
अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 5200 रकबा 12 बीघा 17 विस्वा वाकै ग्राम भरतोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उपरोक्त मूल खं0नं0 5200 रकबा 12 बीघा 17 स्विा का प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 में विभाजन किया जाकर बट्टा नंबर डाले गये है जिसमें खं0नं0 मूल 5200 के बट्टा नंबर डाले जाने पर निम्न खातेदारों के भूमि इस प्रकार से हिस्सें में आयी। अप्रार्थी सं0 4 लगा0 6 के रकबा 5200/1 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, प्रार्थी के रकबा 5200/2 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, अप्रार्थी सं0 3 के खं0नं0 5200/3 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा, अप्रार्थी सं0 2 के खं0नं0 5200/4 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा है। मूल खं0नं0 5200 का तकसीम होने पर बट्टा नं0 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 डाले गये जिसका नामान्तकरण सं0 2142 दिनांक 12.0692 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 के नाम खोला गया था जिस नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति एनेक्चर सं0 3 है। उपरोक्त आराजीयाज मद नं0 2 में वर्णित को जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 के खातेदरी में सही दर्ज किया हुआ है परन्तु नक्शे में मूल ख0नं0 5200 के बट्टा नं0 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 की तरमीम की गई है वह सही नहीं की गयी है मौके पर उक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल सही नहीं आता है ओर वर्तमान मे नक्शे में तरमीम हो रखी है उसके अनुसार भूमि कम हो रही है जिससे पक्षकारान अपनी भूमि पर का सही सीमा चिन्ह कर पत्थरगढ़ी भी नहीं नहीं कर पा रहे है। उपरोक्त मूल ख0नं0 5200 का राजस्व अधिकारियों ने वरवक्त सेटलमेन्ट मे जो राजस्व नक्शा में जमाबन्दी के अंकन अनुसार तरमीम कर जो नक्शा जारी किया है व वर्तमान जारी नक्शा ट्रेस मे भिन्नता है जिसके अनुसार पक्षकार के भूमि कम ज्यादा हो रखी है जो सेटलमेन्ट नक्शा एनेक्चर–1 है तथा वर्तमान तरमीमी नक्शा बट्टा नं0 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 डाले जाकर जारी किया गया है वह एनेक्चर सं0 2 है। जिनका मिलान किये जाने से स्पष्टतया प्रतीत होता है कि मूल ख0नं0 5200 व वर्तमान में बट्टा नं0 डालकर राजस्व नक्शें में की गई तरमीम में भारी भिन्नता आ गयी है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी का नक्शा जो वर्तमान में हल्का पटवारी के पास उपलब्ध है जिसमें मूल ख0नं0 5200 की आराजी की तरमीम सही रूप से नहीं की गई है उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है जो एनक्चेर सं0 2 है। प्रार्थी वर्तमान नक्शें मे जो तरमीमी की गई है उसमें सही रूप से तरमीमी ख0नं0 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 की नहीं होने से प्रार्थी को उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने में असुविधा हो गयी है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में उक्त तरमीम सही नहीं होने के कारण व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी के पास पूर्व में मूल ख0नं0 5200 का उपलब्ध राजस्व नक्शें के अनुसार ख0नं0 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 की आराजी का इन्द्राज करते हुये वर्तमान में जारी नक्शें में तरमीमी सही रूप से करते हुये दुरूस्त करने हेतु कहा जिस पर हल्का पटवारी ने तहसीलदार जी से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार फुलेरा के समक्ष निवेदन किया जिन्होंने प्रार्थी को मौखिक रूप से कहा कि उक्त तरमीम कार्यवाही प्रशासनिक तौर पर किया जाना संभव नहीं है केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभर के समक्ष एल0आर ... के प्रावधानों के तहत ही किया जाना संभव है इसलिए यह प्रा0पत्र प्रस्तुत ... जाना आवश्यक हुआ है।

... प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को ... किया गया। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 6 की ओर से वकील श्री नितेश जागिड़ ने ... व जवाब प्रा0पत्र व प्रस्तावित नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया ... वाली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में पेश हुयी।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा तहरीर क्रमांक 2000 दिनांक 04.12.17 के द्वारा लैण्ड रिकार्ड रूल्स 59 से 68 सपठित धारा 131 एल.आर. एक्ट के तहत परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर भिजवाने हेतु प्रेषित की गई जिसके पश्चात् न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

अप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने दिनांक 29.11.17 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है।

हमने दोनों पक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों पक्षों ने विवादित आराजी के नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु पत्रावली पर तरमीम नक्शा प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया है इसी अनुसार तरमीम किया जावें जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने भी सहमति प्रकट की है।

हमने बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न नक्शे में तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा प्रस्तुत किया है जिसकी पुष्टि जमाबंदी पत्रावली में प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों व अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के जवाब से होती है तथा प्रस्तावित तरमीम नक्शे अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नंबर 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5200/4 वाके ग्राम भरतोलाव तह0 फुलेरा की तरमीम प्रस्तावित नक्शे की तरमीम के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रस्तावित तरमीम नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक10.02.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner